

सां/No. : 5-1(49)/2008-PD

Dated 05.05.2022

प्रेषक : संयुक्त सचिव (प्रशासन)

From : Joint Secretary (Admn.)

सेवा में : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान

To : The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

विषय : जीवन-पर्यंत बकायों के संदाय के लिए पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के अधीन पेंशनभोगियों द्वारा नामनिर्देशन - के संबंध में ।

Sub : **Nomination by pensioners under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 for payment of life-time arrears – reg.**

महोदया/Madam / महोदय/Sir,

I am directed to forward herewith a copy of Govt. of India, Ministry of Personnel, P.G. & Pension, Department of Pension and Pensioners' Welfare OM No.1/2(40)/2022-P&PW (E) dated 31.03.2022 on the subject mentioned above for information, guidance and compliance.

I am further directed to state that the Competent Authority has desired that a mechanism shall be put in place to do random checks by pension sanctioning authorities to ensure that the system is working in accordance with instructions contained in above mentioned DoPPW OM dated 31.03.2022.

भवदीय/Yours faithfully,



(एम. अरुण मणिकण्ड भारति / M Arun Manikanda Bharathi)

अवर सचिव (नीति प्रभाग) / Under Secretary (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

- 1) प्रमुख, आई.टी. प्रभाग, इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को सी.एस.आई.आर. वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर उपलब्ध कराएं / Head, IT Division, with the request to make this circular letter available on the CSIR website & Policy Repository.
- 2) कार्यालय प्रति/Office copy.

सं. 1/2(40)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: मार्च 31, 2022

सेवा में,

पेंशन संवितरण बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
पेंशन संवितरण बैंकों के सभी सीपीपीसी

विषय: जीवन-पर्यंत बकायों के संदाय के लिए पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के अधीन पेंशनभोगियों द्वारा नामनिर्देशन

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 10.09.1983 (अनुबंध-1) को अधिसूचित पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के अनुसार ऐसे पेंशनभोगी जो इस नियमावली के अधिसूचित होने से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें संबंधित पेंशन संवितरण प्राधिकारी को नामनिर्देशन जमा करना था। प्रत्येक ऐसा कर्मचारी जो इस नियमावली के अधिसूचित होने के पश्चात् सेवानिवृत्त हुआ है/होगा, उसके लिए उस कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष को, जहां से वह सेवानिवृत्त हुआ है/हो रहा है, प्रपत्र 'क' तीन प्रति में नामनिर्देशन जमा करना अपेक्षित था/है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रपत्र 'क' में नामनिर्देशन की सत्यापित प्रतिलिपि पेंशनभोगी को वापस करना अपेक्षित है। पेंशन संदाय आदेश के साथ नामनिर्देशन की तीसरी प्रति पेंशन संवितरण प्राधिकारी को वेतन और लेखा अधिकारी/केंद्रीय वेतन और लेखा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित की जाएगी।

2. पेंशनभोगी, पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्रपत्र 'क' तीन प्रति में जमा करा कर नामनिर्देशन (नामनिर्देशिती की पेंशनभोगी से पूर्व मृत्यु होने की दशा में, या अन्यथा) में परिवर्तन कर सकता है। पेंशन संवितरण प्राधिकारी नामनिर्देशन की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर नामनिर्देशन की सत्यापित दूसरी प्रति पेंशनभोगी को वापस करेगा। तीसरी प्रति उस विभाग के, जहां से पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ, लेखा अधिकारी को प्रेषित की जाएगी और नामनिर्देशन की मूल प्रति पेंशन संवितरण प्राधिकारी के पास रखी जाएगी। यदि पेंशनभोगी की मृत्यु के उपरांत पेंशन की कोई बकाया राशि होती है, तो ऐसे पेंशन बकायों को उस व्यक्ति को संदत्त किया जाएगा, जिसके पक्ष में पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के अधीन नामनिर्देशन उपलब्ध है।

3. इस विभाग में कुछ पेंशनभोगियों/पेंशनभोगी संघों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि ज्यादातर मामलों में, जब पेंशनभोगी पेंशन संवितरण प्राधिकारी(पीडीए) को नामनिर्देशन जमा करता है, बैंक कर्मों इसे जमा करने में आनाकानी करते हैं क्योंकि वे इस नियम से अवगत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त यदि नामनिर्देशन बैंक द्वारा स्वीकार किया जाता है, पेंशनभोगी इसे सुरक्षित रखने और आवश्यकतानुसार अभिप्रास करने के बारे में अनभिज्ञ हैं क्योंकि वह इसके बारे में निश्चित नहीं हैं कि इसे बैंक के प्रणाली में फीड किया गया है।

4. इस विभाग में मामले की जांच की गई। पेंशन के आजीवन बकायों के लिए नामनिर्देशन की प्रस्तुति और पावती की प्रक्रिया पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 में अच्छी तरह परिभाषित है। सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों को पेंशन कागजात भरते समय प्रपत्र 'क' में पेंशन बकायों के लिए नामनिर्देशन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह नामनिर्देशन इसके पश्चात पीपीओ सहित पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्रेषित किया जाता है।

5. अधिकांश मामलों में, नामनिर्देशन की अनुपलब्धता की समस्या बैंकों द्वारा नामनिर्देशनों का भलीभांति रखरखाव नहीं करने के कारण होती है, क्योंकि बैंक द्वारा नामनिर्देशनों का उचित रिकॉर्ड नहीं रखा गया होता। समस्या तब भी उत्पन्न हो सकती है जब नामनिर्देशिती की पेंशनभोगी से पूर्व मृत्यु होने के कारण या किसी अन्य कारण से सेवानिवृत्ति के समय जमा किया गया नामनिर्देशन अमान्य हो जाता है और पेंशनभोगी प्रपत्र 'क' में बैंक को नया नामनिर्देशन जमा नहीं कर पाता या बैंक शाखा में बैंक कर्मों अज्ञानतावश नामनिर्देशन स्वीकार नहीं करते।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी मंत्रालयों/विभागों, लेखा कार्यालयों/सीपीएओ और पेंशन संवितरण प्राधिकारी/बैंकों को पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के अधीन जमा किए गए पेंशनभोगियों के नामनिर्देशनों का रखरखाव करने की प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया जाता है। संक्षेप में, इस संबंध में मंत्रालयों/विभागों, लेखा कार्यालयों/सीपीएओ और पेंशन संवितरण प्राधिकारी/बैंकों द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की जानी अपेक्षित है:

मंत्रालयों/विभागों और उनके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

- i. सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से प्रपत्र 'क' में नामनिर्देशन तीन प्रतियों में प्राप्त करें। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी से नामनिर्देशन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष को नामनिर्देशन की विधिवत सत्यापित प्रति पावती के रूप में कर्मचारी को वापस करनी होगी।
- ii. नामनिर्देशन प्रपत्र की तीसरी प्रति में नामनिर्देशन की स्वीकृति चिपकाएं और पेंशन संदाय आदेश के साथ सीपीएओ/पेंशन संवितरण प्राधिकारी को आगे प्रेषित करने के लिए इसे पेंशन कागजात/पेंशन मामले के साथ लेखा अधिकारी को अग्रेषित करें।

लेखा अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

- i. पेंशन संदाय आदेश के साथ कार्यालय प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार किए गए नामनिर्देशन प्रपत्र की तीन प्रतियां, पेंशन संदाय आदेश/विशेष मुहर प्राधिकार के साथ पेंशन संवितरण प्राधिकारी को आगे प्रेषित करने के लिए केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय को अग्रेषित करें।


केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

- i. पेंशन संदाय आदेश/विशेष मुहर प्राधिकार के साथ पेंशन संवितरण प्राधिकारी/बैंक को पेंशन संदाय आदेश के साथ कार्यालय प्रमुख द्वारा विधिवत स्वीकार किए गए नामनिर्देशन फॉर्म की तीसरी प्रति अग्रेषित करे।

पेंशन संवितरण प्राधिकारी/बैंक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

- i. लेखा अधिकारी/सीपीएओ से प्राप्त पेंशनभोगी के नामनिर्देशन की तीसरी प्रति को अभिलेख के लिए सुरक्षित रखें।
- ii. लेखा कार्यालयों/सीपीएओ से प्राप्त नामनिर्देशनों की बाबत अपनी प्रणाली में उचित रिकॉर्ड रखें।
- iii. सभी पेंशनभोगियों की बाबत पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के अधीन नामनिर्देशन की उपलब्धता की समीक्षा करें। यदि किसी पेंशनभोगी की बाबत पीडीए/बैंक के रिकॉर्ड में नामनिर्देशन उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित पेंशनभोगी को पीडीए/बैंक द्वारा उसे तुरंत प्रपत्र 'क' में जमा करने की सलाह दी जाए।
- iv. पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के प्रपत्र 'क' (तीन प्रतियों में) में पेंशनभोगी से मौजूदा नामनिर्देशन में किए किसी भी संशोधन/नए नामनिर्देशन को स्वीकार करें और पेंशनभोगी को नामनिर्देशन की विधिवत सत्यापित प्रति नामनिर्देशन की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर वापस करें।
- v. नामनिर्देशन की तीसरी प्रति उस विभाग के सीपीएओ/लेखा अधिकारी को भेजें जहां से पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुए थे और नामनिर्देशन की मूल प्रति रिकॉर्ड के लिए अपने पास रखें।

- vi. पेंशनभोगियों के साथ संव्यवहार करने वाले कर्मचारियों को प्रपत्र 'क' में पेंशनभोगियों द्वारा प्रस्तुत किए मौजूदा नामनिर्देशन में किसी संशोधन या नए नामनिर्देशन को स्वीकार करने का निर्देश दें।
 - vii. पेंशनभोगियों से प्राप्त नए नामनिर्देशनों/संशोधनों के संबंध में उनकी प्रणाली में उचित रिकॉर्ड रखें।
 - viii. पेंशन सेवा पोर्टल या उनके द्वारा अनुरक्षित किसी अन्य समान पोर्टल में पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के अधीन नामनिर्देशन की उपलब्धता की स्थिति दर्शाएं।
 - ix. पेंशनभोगियों को उनके द्वारा जारी मासिक पेंशन पर्चियों में पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के अधीन नामनिर्देशन की उपलब्धता की स्थिति दर्शाएं।
7. उपरोक्त निर्देशों को सभी संबंधितों द्वारा सख्ती से अनुपालन के लिए व्यापक रूप से परिचालित किया जाए।
 8. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(संजय शंकर)

भारत सरकार के उप सचिव

फोन: 24635979

सेवा में,

1. सभी मंत्रालय/विभाग
2. लेखा महानियंत्रक/केंद्रीय वेतन और लेखा कार्यालय
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक/महालेखापरीक्षक
4. एनआईसी, विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

No. 1/2(40)/2022-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3" Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi,
Dated March 31, 2022

To

The CMDs of Pension Disbursing Banks
CPPCs of Pension Disbursing Banks

Subject: Nomination by pensioners under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 for payment of life-time arrears

I am directed to say that in accordance with the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 notified on 10.09.1983 (Annexure-1), pensioners who retired before the notification of the Rules were required to submit nomination to the respective Pension Disbursing Authority. Every employee who retired or will retire after the notification of the Rules, was/is required to submit the nomination, in triplicate, in Form "A" to the Head of Office or the Department from where he retired/ is retiring. The Head of Office is required to return a duly attested duplicate copy of the nomination in Form "A" to the pensioner. The triplicate copy of the nomination is to be passed on to the Pension Disbursing Authority along with the Pension Payment Order, through the PAO/CPAO.

2. The pensioner can, subsequently, modify the nomination (if nominee pre-deceases the pensioner, or otherwise) by submitting Form "A" in triplicate to the Pension Disbursing Authority. The Pension Disbursing Authority is required to return to the pensioner the duly attested duplicate copy of the nomination within thirty days of the receipt of nomination. The triplicate copy is to be sent to the Accounts Officer of the Department from where the pensioner had retired while the original copy of the nomination shall be recorded with the PDA. If any arrears of pension accrue after the death of a pensioner, such arrears of pension are paid to the person in whose favour a nomination under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 exists.

3. Representations have been received in this Department from some pensioners/pensioners' associations that, quite often, when pensioners submit their nominations to the Pension Disbursing Authority (PDA), there is reluctance on the part of the bank staff to accept these nominations as they are not quite conversant with the above rules. Further, in case a nomination is accepted by the bank, the pensioner is not aware of its safe custody and its retrieval when needed because he is not sure whether the nomination has been fed into the system of the Bank.

4. The matter has been examined in this Department. The procedure for submission and acknowledgement of nominations for life-time arrears of pension is well defined in the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983. All retiring Government employees are mandatorily required to submit the nomination for arrears of pension in Form A while filling up the pension papers. This nomination is then forwarded to the Pension Disbursing Authority along with the PPO.

5. In most cases, the problem of non-availability of nomination may be due to improper handling of the nominations by the Banks, as the Banks may not be keeping a proper record of the nominations. The problem may also arise if the nomination submitted at the time of retirement becomes invalid on account of the nominee predeceasing the pensioner or for some other reason and the pensioner fails to submit a fresh nomination to the Bank in Form A or the staff in the Bank Branches does not accept the nomination due to ignorance.

6. In view of the above, all Ministries/Departments, Accounts Offices/CPAO and Pension Disbursing Authorities/Banks are enjoined upon to strictly follow the procedure for handling of the nominations of the pensioners submitted under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983. In short, the following actions are required to be taken by Ministries/Departments, Accounts Offices/CPAO and Pension Disbursing Authorities/Banks in this regard:

Actions by Ministries/Departments and attached/subordinate offices thereunder

- i. Obtain nomination in Form A from the retiring employees, in triplicate. The Head of Office or Department must return the duly attested duplicate copy of the nomination to the retiring employee, as acknowledgement, within 30 days of the receipt of nomination from the retiring employee.
- ii. Affix the acceptance of nomination in the triplicate copy of the nomination form and forward it to the Accounts Officer, along with the pension papers/pension case, for onward transmission to the CPAO/Pension Disbursing Authority along with the Pension Payment Order.

Action by the Accounts Officers

- i. Forward the triplicate copy of the nomination form, duly accepted by the Head of Office, along with the Pension Payment Order, to the Central Pension Accounting Office for onward transmission to the Pension Disbursing Authority along with the Pension Payment Order/Special Seal Authority.


Action by the Central Pension Accounting Office

- i. Forward the triplicate copy of the nomination form, duly accepted by the Head of Office, along with the Pension Payment Order to the Pension Disbursing Authority/Bank along with the Pension Payment Order/Special Seal Authority.

Actions by the Pension Disbursing Authority/Bank

- i. Retain the triplicate copy of the nomination of the pensioner, as received from Accounts Officer/CPAO, for record.
- ii. Keep a proper record in their system in respect of the nominations received from the Accounts offices/CPAO.
- iii. Review the availability of nomination under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 in respect of all pensioners. In case, nomination in respect of any pensioner is not available in the record of the PDA/Bank, the concerned pensioner may be advised by the PDA/Bank to submit the same in Form A forthwith
- iv. Accept any modification of existing nomination/fresh nomination from the pensioner in Form A (in triplicate) of the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 and return to the pensioner the duly attested duplicate copy of the nomination within thirty days of the receipt of nomination.
- v. Send the triplicate copy of the nomination to the CPAO/Accounts Officer of the Department from where the pensioner had retired and retain the original copy of the nomination for record.
- vi. Instruct the staff dealing with pensioners to accept any fresh nomination or modification in the existing nomination submitted by the pensioners in Form A.
- vii. Keep a proper record in their system in respect of the fresh nominations/modifications received from the pensioners.
- viii. Indicate the status of availability of nomination under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 in Pension Seva Portals or any other similar portal maintained by them.
- ix. Indicate the status of availability of nomination under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 in the monthly pension slips issued by them to the pensioners.

7. The above instructions may be circulated widely for strict compliance by all concerned.
8. This issues with the approval of Competent Authority.



(Sanjoy Shankar)
Deputy Secretary to the Government of India
Ph-24635979

Copy to:-

1. All Ministries/Departments
2. CGA/CPAO
3. C&AG/AGs
4. NIC for uploading on Department's Website